संख्या-254/2024/3558/22-2-2023-17(269)/2016

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 नवम्बर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू पुत्र श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव, निवासी जनपद-लखनऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू पुत्र श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव, सी-9/1, लाल कॉलोनी, निराला नगर, थाना-हसनगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.03.1993 को सायं काल लगभग 07:15 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्री एल0डी0अरोडा, अपर कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को टाडा क्रि0 केस संख्या-1/95 में भा0द0वि0 की धारा-120बी/302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय डेजिगनेटेड कोर्ट अण्डर टाडा एक्ट/सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25.01.2011 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.02.2022 तक 26 वर्ष 09 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष 03 माह 03 दिन की सपरिहार सजा की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त, लखनऊ द्वारा बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 59 वर्ष की आयु, बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू श्रीवास्तव (बन्दी संख्या-45039) पुत्र श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव, निवासी जनपद-लखनऊ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-254/2024/3558(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-6748/2024 ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।